राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिका.) विभाग

क्रमांक प. 2(157)कार्मिक/क–3/97 जयपुर, दिनांक 16 MAY 2016

परिपत्र

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत ब्यूरों द्वारा लोकसेवकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान बाद अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य सेवा के अधिकारियों के मामलों में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार व अन्य लोकसेवकों के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्ताव भिजवाये जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों का अध्ययन कर, प्रस्तुत दस्तावेजों व अन्य साक्ष्यों का विवेचन व विश्लेषण करने व अनुसंधान अधिकारी से विचार–विमर्श के उपरान्त अभियोजन स्वीकृति जारी करने या न करने का निर्णय लिया जाता है। अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं करने के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग के सचिव के माध्यम से मुख्य सर्तकता आयुक्त की राय प्राप्त करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आदेश मात्र अनुसंधान अधिकारी के निष्कर्षों की पुनरावृत्ति न होकर, प्रकरण के तथ्यों के विवेचन व विश्लेषण पर आधारित विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश (Speaking Order) होना चाहिए जिसके अवलोकन से यह परिलक्षित हो सके कि प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जाने से पूर्व अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग (Independent application of mind) किया गया है। अतः भविष्य में सभी सक्षम प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृति या मनाही का विस्तृत व तर्कपूर्ण आदेश जारी करें।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Himachal Pradesh v/s Nishant Sareen (2010) 14 SCC 527 में निर्धारित किया गया है कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति या मनाही का आदेश जारी कर दिया जाता है तो प्रकरण में समान तथ्यों या दस्तावेजों के आधार पर आदेश का पुनरावलोकन अनुमत नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों के अध्ययन व विवेचन के बाद जारी आदेश अंतिम है व उक्त आदेश का ब्यूरो के अनुरोध पर समान तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर पुनरावलोकन किया जाना अनुमत नहीं है। सभी सक्षम प्राधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करें।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव प्रथम/द्वितीय, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/सम्भागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव